न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– अनीता मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 9/2022 (राजसमन्द डिक्री)

हिम्मतसिंह पिता सोहनसिंह जी राजपूत, निवासी बस स्टैण्ड, कुरज तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

1. कैलाश कुंवर पत्नी स्व. भंवरसिंह जी राजपूत, निवासी बस स्टैण्ड, कुरज तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
2. जितेन्द्रसिंह पिता भंवरसिंह जी राजपूत, निवासी बस स्टैण्ड, कुरज तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
3. सज्जन कुंवर पत्नी जितेन्द्रसिंह जी राजपूत, निवासी बस स्टैण्ड, कुरज तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
4. भरतसिंह पिता भंवरसिंह जी राजपूत, निवासी बस स्टैण्ड, कुरज तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
5. तेज कुंवर पत्नी भरतसिंह जी राजपूत, निवासी बस स्टैण्ड, कुरज तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
6. दीपकसिंह पिता भंवरसिंह जी राजपूत, निवासी बस स्टैण्ड, कुरज तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
7. भूमिधारी तहसीलदार रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी, रेलमगरा प्रकरण संख्या 49/2020 दिनांक 09.03.2022

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1. श्री लक्ष्मीलाल जैन अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री रामलाल मेघवाल अभि. रे.सं. 1 से 6
3. श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक

———:::———

निर्णय दिनांक 24–01–2023

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट द्वारा एक वाद बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा एवं आदेशात्मक आज्ञा का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम कुरज में वादी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की आराजी नंबर 414, 415 किता 2 रकबा 7.0100 हैक्टर भूमि स्थित है। वादी के पिता सोहनसिंह जो फौज में नौकरी करने उक्त भूमि उन्हें सरकार से प्राप्त हुई है। सोहनसि[illegible] का [illegible] दिनांक 17–02–2007 को

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2023.02.09 13:16:28 IST
Reason: SelfAttested

हुई, जिनका सजरा वाद पत्र की कलम संख्या 1 अनुसार है। प्रतिवादीगण उक्त भूमि में कोई हक अधिकार नहीं होते हुए भी लड़ाई–झगड़ा करते हैं। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये आदेशात्मक आज्ञप्ति स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

प्रतिवादी द्वारा आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा.दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी ने उक्त भूमि अपने पिता की बताते हुए वाद प्रस्तुत किया है, किन्तु उनके सभी वारिसान को पक्षकार नहीं बनाया है, जिससे वादी का वाद आवश्यक पक्षकारों के अभाव में विधि द्वारा वर्जित होने से निरस्त किया जावे।

उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब वादी द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाद स्थायी निषेधाज्ञा एवं आदेशात्मक आज्ञप्ति का होने से सभी वारिसान को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक नहीं है। विपक्षीगण द्वारा प्रकरण को लम्बा करने की गरज से उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो भारी कोस्ट के साथ खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र पर उभयपक्षों की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 09–03–2022 से प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा.दी. स्वीकार कर वादी का वाद आवश्यक पक्षकार के अभाव में खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 08–04–2022 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 6 की ओर से अभिभाषक श्री रामलाल मेघवाल उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 7 की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि अपीलान्ट ने अपने परिवार के सदस्यों को पक्षकार इसलिए नहीं बनाया कि वाद स्थायी निषेधाज्ञा एवं आदेशात्मक आज्ञा का है, जिसमें परिवार के सदस्यों को पक्षकार बनाना आवश्यक नहीं है। रेस्पोन्डेन्ट अपीलान्ट की भूमि से जोरज़बरदस्ती बेदखल करना चाहते हैं, जबकि

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2023.02.09 13:16:28 IST
Reason: SelfAttested

उक्त कृषि भूमि में कोई रास्ता दर्ज नहीं है। वाद वाद स्थायी निषेधाज्ञा एवं आदेशात्मक आज्ञा का है, घोषणा एवं विभाजन का नहीं है, इसलिए सभी को पक्षकार बनाना आवश्यक नहीं है, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे तथा अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में चाही गयी दाद उन्हें दिलायी जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को विधि सम्मत बताया तथा अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया। स्वयं अपीलान्ट/वादी ने अपने वाद में अपने पिता सोहनसिंह की मृत्यु दिनांक 17–02–2007 को हो जाना अंकित किया है तथा वाद पत्र की कलम संख्या 1 में उनके 5 वारिसान अंकित किये हैं, जबकि वाद में उन्हें पक्षकार नहीं बनाया है, जबकि वह प्रकरण में आवश्यक पक्षकार थे। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय ने आवश्यक पक्षकारों के अभाव में वादी/अपीलान्ट का वाद खारिज किया है विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 09–03–2022 यथावत रखा जाता है। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 24–01–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनीता मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Anita Meena
Date: 2023.02.09 13:16:28 IST
Reason: SelfAttested